

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 1982/पौष 6, 1904
No. 27] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 1982/PAUSA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1982

New Delhi, the 22nd December, 1982

का. नि. आ. 34(ई) —कन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना स. का. नि. आ. 39(ई), तारीख
23 दिसम्बर, 1981 द्वारा यह घोषणा की कि सिकन्दराबाद
छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद के
संविधान को परिवर्तित करना वांछनीय है;

SRO 34(E).—Whereas the Central Government by the
notification of the Government of India in the Ministry of
Defence No. SRO 39-E, dated the 28th December, 1981
had declared that for the administration of the Secunderabad
Cantonment it was desirable to vary the constitution of the
Cantonment Board, Secunderabad;

और कन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि सिकन्दराबाद
छावनी के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को
बढ़ाना वांछनीय है;

And whereas, the Central Government is satisfied that for
the administration of the Cantonment, Secunderabad, it is
desirable to extend the term of office of the said Board

अतः अब कन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924
(1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त बोर्ड के कार्यकाल
को 29 जून, 1983 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है,
अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड के गठन
तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by
the proviso to sub section (4) of section 14 of the Cantonments
Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby ex-
tends the term of office of the said Board up to and inclusive
of 29th June, 1983 or till a Board is constituted under sec-
tion 13 of the said Act, whichever is earlier.

[फा. सं. 29/42/सी/भू. व. छा. /66/9081-सी/डी.
(क्यू. एण्ड सी.)]

[F. No. 29/42/C/L&C/66/9081-C/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1982

New Delhi, the 22nd December, 1982

का. नि. आ. 35(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में, जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अभिसूचना मरुगा का नि आ 34(ई), दिनांक 22 दिसम्बर, 1982 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 के भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए। केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा अभिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद के एक सदस्य के रूप में 30 दिसम्बर, 1982 से मनोनीत किया गया है —

1. ले. कर्नल के. पी. वासुदेवन धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित।
2. न्वाब महमूद खान धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित।

[फा स 29/42/सी/भू व छा /66/9081-सी/डी.

(क्यू एण्ड सी.)]

भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

S R O. 35(E).—In pursuance of sub section (3) of section 14 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No S R O 34 E dated the 22 December, 1982, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part-II Section 4, dated the December, 1982 the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the members of Cantonment Board, Secunderabad with effect from 30th December 1982 —

- 1 Lt. Col K P Vasudevan Nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14
- 2 Nawab Mahmood Khan Nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14

[F No 29/42/C/L&C/66/9081-C/D(Q&C)]

BHASKAR GHOSE, Jt. Secy.